बाह्य परिपत्र सं. 118/ डॉस -08/ 2024 18 जून 2024
संदर्भ सं. राबैं. प्रका. डॉस. पॉल. / 998/ जे-1 / 2024-2025

प्रबंध निदेशक, सभी राज्य सहकारी बैंक
प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सभी जिला मध्यवर्ती बैंक

महोदया/महोदय,

<u>एनहैन्स्ड कैमलएससी (ई-कैमलएससी) पर आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंको के चयन हेतु विभेदित दृष्टिकोण</u>

बैंकिंग उद्योग में जोखिम प्रोफाइलिंग के उभरते परिदृश्य की प्रतिक्रिया में, बैंकों के परिचालन में जोखिम स्तरों की निगरानी के लिए एक मजबूत पर्यवेक्षी ढाँचा स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है. परिणामस्वरूप, बैंकिंग पर्यवेक्षण में अग्रणी पद्धतियों के अनुरूप नाबार्ड की भूमिका को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए और साथ ही वित्तीय प्रणाली हेतु बैंकों की गतिविधियों के लिए दूरगामी जोखिम मूल्यांकन को अपनाने पर विशेष ध्यान देते हुए, यह आवश्यक है कि जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) अपनाया जाए.

2. यह निर्णय लिया गया है कि ‘आरबीएस’ को पूर्ण रूप से लागू करने से पहले ‘ई-कैमलएससी’ की अंतरिम दृष्टिकोण को अपनाया जाए और तदनुसार, विभेदित दृष्टिकोण के आधार पर पहचाने गए बैंकों के एक समूह के लिए दिनांक 01 अप्रैल 2023 से ई-कैमलएससी आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण शुरू किया गया है. ई-कैमलएससी मॉडल पर्यवेक्षी संस्थाओं के मौजूदा रिपोर्टिंग ढाँचे में अतिरिक्त जोखिम और नियंत्रण कारकों को शामिल करके तथा पर्याप्त अतिरिक्त मात्रात्मक और गुणात्मक मापदंडों की शुरूआत करके इसका लाभ उठाता है.

3. इस संबंध में, हम दिनांक 02 जून 2023 के परिपत्र सं. ईसी. 105/डॉस-27/2023 का संदर्भ लेते हैं जिसमें ग्रामीण सहकारी बैंकों को ई-कैमलएससी पर आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण पर विस्तृत मार्गदर्शी नोट जारी किया गया है जिसका उद्देश्य बैंकों को ई-कैमलएससी दृष्टिकोण के तहत विभिन्न मापदंडों और जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से इसकी प्रासंगिकता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करना है. बैंकों से अनुरोध किया गया था कि वे ई-कैमलएससी में अंतरण के लिए आवश्यक कदम उठाएँ अर्थात् अपेक्षित डेटा प्वाइंट की पहचान करें, मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा के संकलन को प्रभावी तरीके से करने के लिए पर्याप्त प्रणाली / प्रक्रियाएँ / सूचना प्रणाली स्थापित करें और जब निरीक्षणकर्ता अधिकारियों निरीक्षण के लिए बैंक जाएँ तो उन्हें उपलब्ध कराएँ.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पर्यवेक्षण विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 6812 0039 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0103 • ई मेल: dos@nabard.org
Department of Supervision
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 6812 0039• Fax: +91 22 2653 0103 • E-mail: dos@nabard.org

4. वित्तीय वर्ष 2023-24 को ई-कैमलएससी आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को अपनाने के पहले वर्ष के रूप में चिह्नित किया गया और 194 बैंकों का निरीक्षण दिनांक 31 मार्च 2023 की उनकी वित्तीय स्थिति के संबंध में ई-कैमलएससी दृष्टिकोण के आधार पर किया गया. ई-कैमलएससी दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के पहले वर्ष में प्राप्त अनुभवों के आधार पर, यह अवलोकन किया गया है कि लघु बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर हैं, अतः ऐसे बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के मूल्यांकन के आधार पर बैंक में जोखिमों की पहचान करना व्यापक रूप से व्यवहार्य नहीं है. इसके अलावा, वर्तमान में छोटे लघु बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की क्षमताएँ भी बहुत सीमित हैं.

5. इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का ई-कैमलएससी के तहत चयन के लिए विभेदित दृष्टिकोण पर पुनः विचार किया जाए.

6. ई-कैमलएससी पर आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण के तहत सांविधिक निरीक्षण हेतु विभेदित दृष्टिकोण निम्नानुसार होगा:

i. सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक
ii. गैरे-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक उनके "**व्यवसाय के आकार**" के आधार पर चरणबद्ध तरीक से.

7. गैरे-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में ई-कैमलएससी पर आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को निम्नानुसार अपनाया जाएगा:

कार्यान्वयन की तिथि	**के लिए लागू**
दिनांक 01 अप्रैल 2024	वे बैंक जिनके व्यवसाय का आकार दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति में ₹ 3,000 करोड़ से अधिक है
दिनांक 01 अप्रैल 2025	वे बैंक जिनके व्यवसाय का आकार दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति में ₹ 2,000 करोड़ से अधिक है
दिनांक 01 अप्रैल 2026	सभी ग्रामीण सहकारी बैंक

8. उपर्युक्त सीमा की गणना सांविधिक निरीक्षण की संदर्भ तारीख की स्थिति में लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार की जाएगी. आगामी वर्ष/वर्षों में बैंकों की वित्तीय स्थिति में किसी परिवर्तन के बावजूद वे इस दृष्टिकोण के तहत बने रहेंगे.

9. कृपया आपके राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में स्थिति हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र के संबंध में पावती प्रदान करें.

भवदीय

ह/-
(सुधीर कुमार रॉय)
मुख्य महाप्रबंधक

मुख्य दस्तावेज़

दस्तावेज़ का शीर्षक	एनहैन्स्ड कैमलएससी (ई-कैमलएससी) पर आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंको के चयन हेतु विभेदित दृष्टिकोण
तैयार किया गया	पर्यवेक्षण विभाग
अनुमोदन की तारीख	26 मार्च 2024
दस्तावेज़ का वर्गीकरण	बाह्य
दस्तावेज़ संख्या. / संस्करण सं.	1.0

संस्करण इतिहास

संस्करण सं.	वित्तीय वर्ष	परिवर्तन / टिप्पणी	परिवर्तन किया गया
1.0	2024-25	नई नीति	

संस्करण का अनुमोदन

संस्करण सं.	अनुमोदन की तारीख	परिवर्तन / टिप्पणी	अनुमोदित किया गया
1.0	2023-24	नई नीति	पर्यवेक्षण मंडल (बोर्ड ऑफ सुपरविज़न)

संदर्भ

क्रम सं.	संदर्भ	संदर्भ सं.
1	ई-कैमलएससी पर्यवेक्षी दृष्टिकोण – मार्गदर्शी नोट	दिनांक 02 जून 2023 का परिपत्र सं. 105 / डॉस-27/ 2023, संदर्भ सं. राबैं.डॉस.प्रका.पॉल./ 633 /जे-1/ 2023-24